झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग

157/वि०पें०
25/08/2023

संकल्प

विषय : राज्य सरकार के वैसे कर्मी, जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया दिनांक 01.12.2004 के पूर्व पूर्ण हो गयी हो, परन्तु दिनांक 01.12.2004 के पश्चात् नियुक्त हुए हो, उन्हें पुरानी पेंशन योजना की अनुमान्यता हेतु निर्गत संकल्प संख्या 126 दिनांक 01.08.2022 में संशोधन के संबंध में ।

पेंशन एवं पेंशन कल्याण विभाग, भारत सरकार के OM No. 57/04/2019-P&PW(B) दिनांक 17.02.2020 के आलोक में वित्त विभाग के संकल्प संख्या 126/वि०पें० दिनांक 01.08.2022 द्वारा वैसे कर्मी, जिनकी नियुक्ति हेतु अंतिम परिणाम/अनुशंसा दिनांक 01.12.2004 के पूर्व घोषित हो चुकी हो, परन्तु प्रशासनिक कारणों (पुलिस सत्यापन, चिकित्सीय जाँच, इत्यादि) से, जो नियुक्त किये गये सरकारी सेवकों के नियंत्रण से परे हो, नियुक्ति पत्र के संसूचन अथवा योगदान में विलम्ब हुआ हो एवं दिनांक 01.12.2004 के पश्चात् नियुक्त हुए हो, उन्हें पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प दिया गया है ।

2. पेंशन एवं पेंशन कल्याण विभाग, भारत सरकार के OM No. 57/05/2021-P&PW(B) दिनांक 03.03.2023 द्वारा वैसे कर्मी जिनकी नियुक्ति नई/अंशदायी पेंशन योजना लागू करने से संबंधित अधिसूचना संसूचन की तिथि (दिनांक 22.12.2003) के पूर्व निर्गत भर्ती विज्ञापन/नियुक्ति आदेश के आलोक में हुई हो, को एकवारीय विकल्प के तहत पुरानी पेंशन योजना अनुमान्य करते हुए NPS खाते में जमा राशि की वापसी का प्रावधान किया गया है ।

3. राज्य सरकार में वित्त विभाग के संकल्प संख्या 518 दिनांक 09.12.2004 के द्वारा दिनांक 01.12.2004 को या उसके पश्चात् नियुक्त सरकारी सेवको पर अनिवार्य रूप से ''सरकारी कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना-2004'' लागू की गई थी, जिसे वित्त विभाग के संकल्प संख्या 143 दिनांक 05.09.2022 के द्वारा सर्शत समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है ।

4. उपर्युक्त परिपेक्ष्य में वैसे राज्य सरकार के कर्मी, जिनकी नियुक्ति दिनांक 01.12.2004 के पूर्व निर्गत भर्ती विज्ञापन/नियुक्ति आदेश के आलोक में हुई

हो, को पुरानी पेंशन योजना अनुमान्य करते हुए NPS खाते में जमा राशि की वापसी का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था ।

5. अतः सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि वैसे कर्मी, जो निम्न शर्त्तों को पूरा करते हैं :-

(क) जिनकी नियुक्ति दिनांक 01.12.2004 के पूर्व निर्गत भर्ती विज्ञापन/नियुक्ति आदेश के आलोक दिनांक 01.12.2004 को या इसके बाद हुई हो ।

(ख) उपर्युक्त शर्त्त को पूर्ण करने वाले कर्मियों को एकवारीय विकल्प का उपयोग करने हेतु निश्चित रूप से दिनांक 31.10.2023 के पूर्व तक अपने नियुक्ति प्राधिकार/विभाग में आवेदन करेंगे । नियुक्ति प्राधिकार/विभाग द्वारा समीक्षोपरांत आवश्यक आदेश (इस आशय का कि संबंधित कर्मी संकल्प के आलोक में पुरानी पेंशन योजना से अच्छादित होते है अथवा नही) दिनांक 31.12.2023 के पूर्व तक निश्चित रूप से निर्गत किया जायेगा ।

(ग) PRAN में जमा राशि की वापसी भविष्य निधि निदेशालय के आदेश सं० 47 दिनांक 04.02.2015 के प्रावधानों के आलोक में की जायगी बशर्त्ते धारक द्वारा जमा राशि लाभांश सहित उसके भविष्य निधि खाते में तथा सरकार द्वारा किये गये अंशदान की राशि लाभांश सहित राज्य सरकार के खाते में जमा कर दिया जायेगा ।

6. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 126 दिनांक 01.08.2022 में उल्लेखित शर्त्तें एवं समयावधि को इस हद तक संशोधित समझा जायेगा ।

7. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 11.08.2023 की बैठक में मद संख्या 19 में इसकी स्वीकृति दी गयी है ।

आदेश :- **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाय ।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

23/8/23

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक :- 9/पें०(6)-01/2022..157/वि०पें० राँची, दिनांक 25/08/2023

प्रतिलिपिः- माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय/ सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय/मुख्य सचिव के सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप-कोषागार पदाधिकारी/ पी०एम०यू० कोषांग, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के सहायक प्रोग्रामर को विभागीय Website पर upload करने के निमित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

23/8/23

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक :-9/पें०(6)-01/2022..157/वि०पें० राँची, दिनांक 25/08/23..प्रतिलिपिः- महालेखाकार (लेखा एवं हक०) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

23/8/23

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक :-9/पें०(6)-01/2022/.157/वि०पें० राँची, दिनांक 25/08/23..प्रतिलिपिः- सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को e-गजट के रूप में राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित ।

23/8/23

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव ।